कार्यालय नगर परिषद सुठालिया जिला राजगढ़ म.प्र.

क्रमांक / 1613 / न.प.सु.सा.प्र. / 2024 सुठालिया,दिनांक 16.08.2024

विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 7275 / 2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07–19 / 2019 / आ.प्र. / 1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक / 676 / 16017123 / 2023 / 18–1 दिनांक 16.02.2023, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक / स्था / एक / 201 / प्र.शि. / 2024 / 3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8–2 / 2013 / आ.प्र. / एक, भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए.**जनसेवक (संविदा)** के आरक्षित पद की पूर्ति वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यार्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 05 सितम्बर 2024 कार्यालयीन समय 5:30 सांयकाल तक आवेदन–पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय / कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार हैः–

सरल क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनो की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक–इन–इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				दृष्टबाधित और कमदृष्टि,	बहरे और कम सुनने वाले,	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीगारी और बहुविकलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सफाई संरक्षक	चतुर्थ	8000 /– अथवा कलेक्टर द्वारा निर्धारित मजदूरी दर जो भी अधिक हो	0	0	01	0	5 वीं कक्षा उत्तीर्ण	

मुख्य शर्ते :–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. इस विज्ञापन के जारी होने के दिनांक को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिये।
3. आवेदक का म.प्र. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
4. आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष के लिये 21 वर्ष, महिला के लिये 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो तो उक्त पद के लिये उसे अयोग्य माना जावेगा।
5. प्राप्त आवेदनों की जॉच के बाद मेरिट के आधार पर चुनिंदा अभ्यार्थियों को वॉक–इन–इंटरव्यू/साक्षरता के लिये आमंत्रित किया जावेगा। उक्त की सूचना आवेदक की मेल आईडी पर दी जावेगी।
6. वॉक–इन–इंटरव्यू के लिये आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
7. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिये ।
8. भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी निकाय की वेबसाइट,www.nagarpalika parishad suthalia एवं विभाग की वेबसाइट www.mpurban.gov.in कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय/निकाय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।
9. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।
10. आवेदन भेजने का पता– मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद,सुठालिया
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए आयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पर के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तो को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करता है।
13. आवेदन–पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न नही किया जाता है, तो उकसे आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी/बैकालॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होगें।
15. मध्यप्रदशे शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण यि जाने से विशेष पिछडी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।

    ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
16. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

17. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
18. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्ताने है, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जावेगा।
19. 20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70
20. प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेंगी।
22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगें।

स्व–प्रमाणित
पासपोर्ट साईज
का फोटो
चस्पा करें

<u>आवेदन का प्रारूप</u>

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद,सुठालिया
जिला राजगढ़

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम...
2. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम...
3. आवेदक/आवेदिका की माता का नाम..
4. आवेदक/आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार) वर्ष...माह...दिन....................................
5. दिनांक..........................को आयु वर्ष.....................माह.....................दिन...................................
6. आवेदक/आवेदिका का लिंग (पुरूष/महिला/अन्य)..
7. निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी (हां/नही)...
8. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत..
9. आवेदक/आवेदिका की जाति...
10. आवेदक/आवेदिका का यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण–पत्र अनुसार विवाह की दिनांक...
11. जीवित संतानों का विवरण..

12. वर्तमान पता/पिन कोड ....

13. स्थाई पता/पिन कोड ....

14. पत्राचार का पता/पिन कोड...

15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम.................
....

16. संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण...

17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं (प्रमाण–पत्रो की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी

18. अनुभव यदि होतो उसका विवरण...

19. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण..

20. ईमेल आई.डी...

21. मोबाईल नम्बर 1...2..

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

घोषणा पत्र

''मै घोषणा करता हूं/करती हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है। यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। काई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावें।''

आवेदक के हस्ताक्षर

पृ0क्रमांक/1613/न.प.सु.सा.प्र./2024 सुठालिया,दिनांक 16.08.2024

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण राजगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. वेबकास्ट मेनेजर संचालनालश नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
5. कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय/निकाय के सूचना पटल पर चश्पा हेतु।
6. संपादक/संवाददाता...की ओर आगामी अंक के न्यूनतम स्पेश में अधिकतम रू. 7000/– की सीमा में प्रकाशनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद सुठालिया

मुख्य शर्तें:–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण–पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रो की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
3. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3–38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग–अनु.जा.,अनु. जनजाति, अन्यपिछडा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओ (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–3–8/2016/3–एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3–38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को वॉक–इन–इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
6. निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
8. वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए आयोग्य माना जायेगा।

12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पर के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तो को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करता है।

13. आवेदन–पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न नही किया जाता है, तो उकसे आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

14. सीधी/बैकालॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होगें।

15. मध्यप्रदशे शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण यै जाने से विशेष पिछडी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं

बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा।

16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।

17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्ताने है, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जावेगा।

20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।

21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेंगी।

22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगें।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद सुठालिया

पृ0क्रमांक / 1613 / न.प.सु.सा.प्र. / 2024 सुठालिया,दिनांक 16.08.2024

प्रतिलिपिः—

7. आयुक्त,नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण राजगढ़ की ओर सूचनार्थ।
10. वेबकास्ट मेनेजर संचालनालश नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
11. कलेक्टर कार्यालय / जिला पंचायत कार्यालय / निकाय के सूचना पटल पर चश्पा हेतु।
12. संपादक / संवाददाता..की ओर आगामी अंक के न्यूनतम स्पेश में अधिकतम रू. 7000 /— की सीमा में प्रकाशनार्थ।

स्व—प्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें

<u>आवेदन का प्रारूप</u>

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद,सुठालिया
जिला राजगढ़

1. आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम..
2. आवेदक / आवेदिका के पिता / पति का नाम..
3. आवेदक / आवेदिका की माता का नाम..
4. आवेदक / आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र / हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार) वर्ष..............................माह..............................दिन..............................
5. दिनांक........................को आयु वर्ष....................माह....................दिन..............................
6. आवेदक / आवेदिका का लिंग (पुरूष / महिला / अन्य)..
7. निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी (हां / नही)..
8. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत..
9. आवेदक / आवेदिका की जाति..
10. आवेदक / आवेदिका का यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण—पत्र अनुसार विवाह की दिनांक..
11. जीवित संतानों का विवरण..
12. वर्तमान पता / पिन कोड ....
13. स्थाई पता / पिन कोड ....
14. पत्राचार का पता / पिन कोड..
15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम................. ....
16. संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण..
17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं (प्रमाण—पत्रो की स्व—प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी

18. अनुभव यदि होतो उसका विवरण...
19. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण...
20. ईमेल आई.डी...
21. मोबाईल नम्बर 1..2..

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

घोषणा पत्र

''मै घोषणा करता हूं / करती हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है। यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। काई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावें।''

आवेदक के हस्ताक्षर